

अति महत्वपूर्ण
संख्या-1511/1-11-2009-18(जी)/06

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2009

विषय: वर्ष 2009 में गर्मी की भीषणता (सूखा) से निपटने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित राहत आयुक्त एवं सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से निर्गत शासनादेश संख्या-713/1-11-2009-18(जी)/06 दिनांक, 27 फरवरी, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से वर्ष, 2009 में गर्मी की भीषणता से निपटने हेतु कार्य योजना बनाते हुए आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में एवं सम्भावित सूखे से निपटने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 23 जून, 2009 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

- (i) पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों की भली प्रकार से मरम्मत का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जाय।
- (ii) प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र एवं अन्य समस्याग्रस्त जनपद आगरा, मथुरा, इलाहाबाद इत्यादि खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रिबोर की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय। मण्डल स्तर पर कार्य देख रहे मुख्य अभियन्ता जलनिगम 03 दिन में मण्डल स्तर पर समीक्षा करते हुये यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रिबोर का कार्य पूर्ण कर

लिया गया है। मुख्य अभियन्ता जल निगम समीक्षा के उपरान्त अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी/ मण्डलायुक्त/प्रबन्ध निदेशक, जल निगम/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग तथा राहत आयुक्त एवं सचिव को उपलब्ध करायेंगे। प्रबन्ध निदेशक, जलनिगम विस्तृत एवं समेकित रिपोर्ट राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के समक्ष भी प्रस्तुत करेंगे।

प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारीगण हैण्डपम्प की मरम्मत/रिबोर, तालाबों में जल सम्भरण की स्थिति की सूचना 29 जून तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के सभी जनपदों के जिलाधिकारीगण विशेष रूप से अपने-अपने जनपदों से सम्बन्धित पशुओं के लिए चरही की मरम्मत आदि के कार्य की रिपोर्ट तद्दिनांक तक अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये गये हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य तीन दिन में पंचायतीराज विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया जाय तथा इसकी विस्तृत सूचना जिलाधिकारी को देते हुए उसकी प्रति प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज विभाग/निदेशक, पंचायतीराज/राहत आयुक्त एवं सचिव को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।

- (iii) शासनादेश संख्या-713/1-11-2009-18(जी0)/2006, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के साथ संलग्न साप्ताहिक सूचना भेजे जाने विषयक प्रपत्र के बिन्दु संख्या-6 हैण्डपम्प मद के अंतर्गत जनपदों से प्राप्त हो रही सूचना से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने हैण्डपम्प रिबोर और कितने मरम्मत योग्य हैं। भविष्य में हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रिबोर की सूचना अलग-अलग प्रदर्शित करते हुए साप्ताहिक सूचना में उसे समावेशित करते हुए भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय। (संशोधित प्रारूप संलग्न)
- (iv) बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के साथ ही जनपद इलाहाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय आपदा राहत समिति पेयजल संकट की आपातकालीन स्थिति का निर्धारण करेगी। टैंकों से पेयजल की आपूर्ति इस हेतु

उ0प्र0 जल निगम द्वारा निर्धारित दरों पर की जाएगी। निर्धारित दरों का विवरण एतद्वारा संलग्न है। टैंकरों से पेयजल आपूर्ति का सत्यापन उपजिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक का कार्यवृत्त, उपजिलाधिकारी की सत्यापन रिपोर्ट एवं व्यय हुई किराये की धनराशि का विवरण प्रस्ताव निम्नांकित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ताकि आपदा राहत निधि से कार्यान्तर स्वीकृति दी जा सके:-

क्र0	पेयजल संकट से प्रभावित ग्राम शहरी क्षेत्र के वार्ड/मुहल्ला क्षेत्र का नाम	दिन की संख्या	टैंकरों की संख्या	प्रति टैंकर के किराये की धनराशि	कुल वांछित धनराशि
1	2	3	4	5	6

प्रबन्ध निदेशक, जल निगम द्वारा जनपद में उपलब्ध टैंकरों की अद्यतन इन्वेन्ट्री बनायी जाएगी जिससे कि आपात स्थिति में तत्काल टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इस सूची में सरकारी अर्द्धसरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध टैंकरों का विवरण उपलब्ध होगा।

- (v) तालाबों को भरे जाने के संबंध में विस्तृत अद्यतन रिपोर्ट तत्काल ग्राम्य विकास विभाग/सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को भेजने के साथ ही साथ राहत आयुक्त एवं सचिव, राजस्व को भी भेजी जाय।
- (vi) पंचायतीराज विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड में पशुओं के पेयजल संकट के निवारण हेतु चरही की मरम्मत का कार्य तत्काल पूर्ण कर लिया जाय। जिलाधिकारी चरही की मरम्मत की सत्यापन रिपोर्ट राहत आयुक्त एवं सचिव राजस्व विभाग को उपलब्ध करायेगे।
- (vii) ग्रीष्मकाल में चरी में साइनाइड विष उत्पन्न होने की संभावना के दृष्टिगत इससे बचाव के उपायों हेतु पशुपालन विभाग द्वारा धनराशि

आवंटित कर दी गयी है। जिलाधिकारी जनपद स्तर पर तैयारी की समीक्षा करते हुये विस्तृत रिपोर्ट प्रमुख सचिव पशुपालन विभाग एवं राहत आयुक्त एवं सचिव को 03 दिन में उपलब्ध करायेगे।

(viii) मृदा में नमी संरक्षण के उपायों का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करते हुये ड्राई सीड एवं वैकल्पिक फसलों के साथ खाद एवं बीज का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित कर लिया जाय। जिलाधिकारी जनपद स्तर पर इस की समीक्षा करते हुये विस्तृत रिपोर्ट कृषि उत्पादन आयुक्त/सचिव कृषि विभाग/राहत आयुक्त एवं सचिव को 03 दिन में उपलब्ध करायेगे।

(ix) खाद्य एवं रसद विभाग निर्धन एवं कमजोर व्यक्तियों को भुखमरी की स्थिति से बचाने के लिये ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 को अत्योदय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुये इस की समीक्षा प्रति सप्ताह करें ताकि सभी को समय से खाद्यान्न प्राप्त हो सके। यह सुनिश्चित किया जाय कि सूखे की स्थिति में खाद्यान्नों का मूल्य न बढ़े। इस हेतु मूल्य नियंत्रण की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाय।

सूखे की स्थिति में मुनष्यों में होने वाली सामान्य बीमारियों जैसे डिहाइड्रेशन आदि से बचने हेतु सामान्य जन को अवगत कराये जाने के निमित्त समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाय। इस सम्बन्ध में भी की गयी कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/राहत आयुक्त एवं सचिव, राजस्व को तत्काल भेजी जाय।

(X) स्थानीय समाचार पत्रों में जनपद में सूखे से निपटने हेतु उसकी तैयारी, कार्यान्वयन तथा उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं को प्रकाशित किया जाय।

उपर्युक्त समस्त बिन्दुओं के ओर विशेष रूप से तथा इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये निदेशित करना है कि कृपया आप इस सम्बन्ध में तत्काल जिला आपदा राहत समिति की बैठक आहूत कर समस्त जिला स्तरीय प्राधिकारियों के साथ तत्काल स्थिति की समीक्षा कर लें एवं सम्बन्धित विभागों को क्रियाशील करते हुए समस्त कार्यवाहियाँ युद्ध स्तर पर

उपर्युक्त निर्देशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित विवरण/रिपोर्ट/सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या-1511 (1)/1-11-2009-18(जी)/06, तददिनांक

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रदेश में विकास कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा हेतु सेक्टरल अधिकारियों को इस शासनादेश से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि वे उनके द्वारा इस शासनादेश में लिये गये निर्णयानुसार जनपद स्तर पर समीक्षा के दौरान इन बिन्दुओं पर भी समीक्षा की जा सके।

आज्ञा से,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या-1511 (1)/1-11-2009-18(जी)/06, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग एवं भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. प्रबंध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. राजस्व अनुभाग-10
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(एस0एन0 शुक्ला)

राहत आयुक्त एवं सचिव।

संशोधित प्रारूप

जनपद का नाम –

1. रिपोर्ट का दिनांक
2. मौसम की स्थिति

क्र०सं०	तिथि	तापमान		वर्षा (मि०मी० में)
		अधिकतम	न्यूनतम	
	(1)	(2)	(3)	(4)

3. विद्युत आपूर्ति (घन्टो में)
 - (क) मण्डल मुख्यालय
 - (ख) जिला मुख्यालय
 - (ग) ग्रामीण क्षेत्र
4. डीजल की उपलब्धता की स्थिति –
5. नहरों की स्थिति –
 - कुल टेलों की संख्या –
 - जिन टेलों पर पानी नहीं पहुँचा उनकी संख्या –
6. हैण्ड पम्पों/सरकारी नलकूपों की स्थिति –

क्र०सं०	मद	जनपद में कुल संख्या	खराब की संख्या	15 दिन से अधिक खराब की संख्या
		(1)	(2)	(3)
1.	हैण्डपम्प			
2	सरकारी नलकूप (पेयजल)			
3	सरकारी नलकूप (सिंचाई)			

7.
 - (1) जनपद में रिबोर कराये जाने वाले हैण्डपम्प की संख्या –
 - (2) उक्त के लिए आवश्यक धनराशि –
 - (3) जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि –
 - (4) अब तक रिबोर कराये गये हैण्डपम्प की संख्या –
 - (5) रिबोर कराने हेतु अवशेष हैण्डपम्प की संख्या –

उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ
डैकर संचालन हेतु यूनिट प्राक्कलन

धनराशि रुपये में

क्रमक	विवरण	5.00 कि.मी. दूरी तक	10.00 कि.मी. दूरी तक	15.00 कि.मी. दूरी तक
1	2	3	4	5
1	3000 से 4500 ली० क्षमता के डैकर का किराया	500.00	500.00	500.00
2	डैकर का संचालन किराया ऑयल और सूर्जेकैन्ट का व्यय तथा बोहन चालक का भुगतान- सम्मिलित होगा	600.00	650.00	700.00
3	मजदूर 2 नं @ 100.00	200.00	200.00	200.00
4	योग	1300.00	1350.00	1400.00
5	प्राईवेट नलकूनों से पानी लेने पर व्यय	100.00	100.00	100.00
6	योग	100.00	100.00	100.00
7	महायोग	1400.00	1450.00	1500.00